UPEW010066272024

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(द०प्र०क्षे०अधिनियम),इटावा

उपस्थित–आलोक कुमार श्रीवास्तव, ...एच.जे.एस.

J.O.Code UP1546

सिविल निगरानी संख्या–35/2024

CNR NO–UPEW010066272024

1. संतोष कुमार दीक्षित उम्र 65 वर्ष पुत्र स्व०श्रीरामऔतार
2. अरूण कुमार दीक्षित उम्र 63 वर्ष पुत्र स्व०श्रीरामऔतार

निवासीगण ग्राम मकान नं०–457 नौरंगावाद एस०डी०फील्ड शहर व जिला इटावा।

.....निगरानीकर्तागण/वादीगण।

बनाम

1. शिव शंकर उम्र 62 वर्ष पुत्र स्व०श्रीरामदास निवासी मोहल्ला पुरविया टोला नाला पार शहर व जिला इटावा।
2. अशोक कुमार दीक्षित उम्र 74 वर्ष पुत्र स्व०श्रीशंकर दयाल दीक्षित निवासी हाल पता विनोद नगर बैंक ऑफ इण्डिया के ऊपर कचहरी रोड शहर व जिला इटावा।
3. विनोद कुमार दीक्षित उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व०श्री बलवीर सिंह दीक्षित निवासी ग्राम राहतपुर कस्बा इटावा परगना व जिला इटावा। **(मृतक)**

3/1. श्रीमती सर्वेश दीक्षित उम्र 50 वर्ष पत्नी स्व०श्री विनोद कुमार दीक्षित निवासी ग्राम राहतपुर कस्बा इटावा परगना व जिला इटावा।

4. अर्जुन सिंह उम्र 64 वर्ष पुत्र स्व०श्री शम्भू दलाय

J.O.Code UP1546

(Alok Kumar Srivastava)
Additional District Judge/
Special Judge (DAA Act)Etawah.

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.04.17 10:26:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. कोमल सिंह उम्र 61 वर्ष पुत्र स्व०श्री शम्भू दलाय

6. हरि सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र स्व०श्री शम्भू दलाय
निवासीगण मोहल्ला पुरविया टोला शहर व जिला इटावा।

.....विपक्षीगण/प्रतिवादीगण।

– निर्णय –

1. यह सिविल निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)इटावादिनांकित 30.10.24,जिसमें मूलवाद संख्या 57/2019 संतोष कुमार आदि बनाम शिवशंकर आदि में निगरानीकर्तागण/ वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र 42 क निरस्त कर दिया गया,के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गयी है।

2. निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश व फार्मल डिग्री दिनांकित 30.10.2024 विधि बिधान व तथ्यों के विपरीत है और न्यायालय द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना अविधिक आदेश पारित किया है,जो पूर्णतः अपास्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित करने में ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उनमें निहित नहीं है और निगरानीकर्तागण/वादीगण का प्रार्थनापत्र 42 क संशोधन निरस्त करके तात्विक अनियमितता वरती है,इस लिहाज से पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश पूर्ण केस निर्णीत आदेश की श्रेणी में आता है और हर प्रकार से रिवाइजेविल है। निगरानीकर्तागण/वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या–2 अशोक कुमार दीक्षित द्वारा अपने मेली व साजिसी व्यक्तियों जो प्रतिवादीगण संख्या–4, 5,6, द्वारा दिनांक 11.06.2013 को दानपत्र प्रतिवादी संख्या–1 शिवशंकर के हक में विवादित सम्पूर्ण भूमि का तहरीर व तकमील कराया गया है,जिसमें प्रतिवादी संख्या–2 का मात्र 1/5 हक व हिस्सा था तथा प्रतिवादी संख्या 4,5,6 का हक व हिस्सा नहीं था। वादग्रस्त सम्पत्ति पैत्रिक(पुश्तैनी) सम्पत्ति

है,जो शंकर दयाल दीक्षित को अपने पिता से प्राप्त हुई थी और शंकर दयाल दीक्षित के पिता व रिवीजनकर्तागण के बाबा थे,शंकर दयाल दीक्षित के पांच पुत्रगण थे,जिनमें रामऔतार निगरानीकर्तागण/वादीगण के पिता, बलवीर सिंह, प्रतिवादी संख्या–3 के पिता,श्याम सुन्दर, अशोक कुमार प्रतिवादी संख्या–2, राजेन्द्र कुमार दीक्षित हुये जिनमें सभी का 1/5, 1/5 हक व हिस्सा था,प्रतिवादी सख्या–2 सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति के मालिक काविज नहीं थे,जिन्हें अपने मात्र 1/5 हक व हिस्सा को दान करने व अन्तरण करने का हक था,परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा के अलावा निगरानीकर्तागण/वादीगण का भी हिस्सा अन्तरण,जरिये दानपत्र प्रतिवादी संख्या–1 के हक में कर दिया है,जो दानपत्र शून्य दस्तावेज हैं,जिसे शून्य घोषित कराने हेतु उपरोक्त वाद बावत उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण/विपक्षीगण हाजिर आये और अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा वादपत्र व प्रतिवादपत्र के आधार पर वाद में दिनांक 17.10.2023 को वाद बिन्दु विरचित किये गये,जिसमें मूल्यांकन व न्याय शुल्क के बाबत वाद बिन्दु विचरचित किये गये,जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को किया गया तथा वाद बिन्दु संख्या–3 मूल्यांकन निगरानीकर्तागण/वादीगण की ओर से किया गया। वाद का मूल्यांकन दान पत्र की मालियत के अनुसार 12,26,000/ रूपये पर किया गया को सही मानते हुये निगरानीकर्तागण/वादीगण के पक्ष में मूल्यांकन का वाद बिन्दु निस्तारित किया गया है,जबकि न्याय शुल्क अदा करने का वाद बिन्दु संख्या–4 का निस्तारण करते हुये निगरानीकर्तागण/वादीगण के वाद को उद्घोषणा का वाद न मानते हुये दानपत्र निरस्तीकरण की प्रकृती का मानते हुये उत्तर प्रदेश न्याय शुल्क अधिनियम की धारा–7(IV क) के अन्तर्गत एडवेलोरम कोर्टफीस अदा की जानी चाहिये। प्रस्तुत वाद में अनुतोष दानपत्र निरस्तीकरण की प्रकृति का है,का आदेश पारित किया और निगरानीकर्तागण /वादीगण का वाद उद्घोषणा का नहीं माना और देय न्यायशुल्क भी नहीं

मानी।

3. निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा आधार स्वरूप यह भी कहा गया है कि अवर न्यायालय के आदेश को मानते हुये वादपत्र में कुछ आवश्यक संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र संशोधन 42 क प्रस्तुत किया गया,जिसके माध्यम से वादपत्र में उद्घोषणा के स्थान पर निरस्तीकरण हेतु शून्य घोषित के स्थान पर 'मंसूख' हेतु तथा वादीगण अपने हिस्से के 1/5 भाग यानी 49040/ रूपये पर न्याय शुल्क अदा करने हेतु बढ़ाये जाने हेतु तथा उद्घोषणा के स्थान पर मंसूखी आदेश व अधिकार से अधिक का दानपत्र तहरीर किया है,को तहरीर कराने हेतु प्रस्तुत किया है,जो प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा वाद के मूल्यांकन में परिवर्तन का मानते हुये निरस्त कर दिया है,जबकि निगरानीकर्तागण/ वादीगण का संशोधन प्रार्थनापत्र कतई मूल्यांकन को परिवर्तित करने का नहीं था, बल्कि न्यायशुल्क अदा करने हेतु व वाद में चाहे गये उपशमन जो न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तीकरण का माना को तहरीर करने हेतु प्रस्तुत किया था,जबकि न्यायशुल्क अधिनियम की धारा–7(IV क)की उपधारा–2 में दिया गया है कि विषय वस्तु के मूल्य के 1/5 भाग के अनुसार देय न्याय शुल्क होगी और वादीगण उक्त दस्तावेज में पक्षकार भी नहीं है,के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था,इस लिहाज से भी न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्तागण/ वादीगण सम्पूर्ण दानपत्र को निरस्त नहीं करना चाहता है बल्कि वे अपने हिस्से यानी 1/5 भाग तक का ही निरस्त कराना चाहते हैं। निगरानीकर्तागण /वादीगण अपने हिस्से 1/5 भाग पर ही न्यायशुल्क अदा करेगा न कि सम्पूर्ण मालियत पर,जबकि न्यायालय सम्पूर्ण मालियत 12,26,000/ रूपया पर न्यायशुल्क अदा कराना चाहती है। निगरानीकर्तागण/ वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति में मात्र 1/5 हक व हिस्सा है और वादीगण विधि अनुसार अपने हिस्से से अधिक का दानपत्र निरस्त नहीं करा सकते है इसलिये निगरानीकर्तागण/वादीगण का वाद ग्रस्त सम्पत्ति में 1/5 हक व हिस्सा है

और कुल मालियत मुवलिग 12,26,000/रूपये के 1/5 भाग यानी 2,45,200/–रूपये पर न्यायशुल्क अधिनियम की धारा–7(IV क) की उपधारा–2 के तहत 1/5 भाग यानी 49040/ रूपये पर ही न्याय शुल्क देय होगी और उसी पर न्यायशुल्क अदा की जायेगी,न कि सम्पूर्ण 12,26,000/ रूपये पर। प्रश्नगत आदेश से न्याय की असफलता है और उसके पारित होने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने प्राप्त श्रवण अधिकार का संक्षिप्त प्रयोग न कर उसके परे जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है,जोकि न्यायहित में टिकने योग्य नहीं हैं और निरस्त होने योग्य है।

4. विपक्षी संख्या–3 विनोद कुमार की दौरान निगरानी मृत्यु दिनांक 22.04.2024 को हो गयी,जिसके स्थान पर उनके विधिक वारिसान के रूप में विपक्षी सं०–3/1 श्रीमती सर्वेश दीक्षित को प्रतिस्थापित किया गया। निगरानीकर्तागण/वादीगण उसके विरूद्ध भी वांछित उपशमन पाने के अधिकारी हैं।

5. निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा उपरोक्त आधारों पर आदेश दिनांकित 30.10.2024 जोकि मूल वाद संख्या 57/2019 संतोष कुमार आदि बनाम शिवशंकर आदि में निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र 42 क पर पारित किया गया है को निरस्त करते हुए प्रश्नगत सिविल निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

6. निगरानीकर्तागण/वादीगण की ओर से आदेश दिनांकित 30.10.2024 जो प्रार्थना पत्र 42 क पर पारित किया गया है एवं फार्मल आदेश की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

7. विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत सिविल निगरानी के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत सिविल निगरानी में कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि जब प्रस्तुत निगरानी दिनांक 23.11.2024 को दाखिल

की गयी थी तब प्रस्तुत निगरानी अंगीकृत करते हुये विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया था जिसमें विपक्षी संख्या–3 को छोड़कर शेष पर तामीला माना गया था। विपक्षी संख्या–3 के बारे में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुयी,जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा पैरवी की गयी और विपक्षी संख्या–3 के स्थान पर विपक्षी संख्या–3/1 श्रीमती सर्वेश दीक्षित पत्नी स्व०विनोद कुमार प्रतिस्थापित हुयी। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 31.07.25 को विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त मानते हुये उन्हें अन्तिम अवसर दिया गया था परन्तु इसके उपरान्त भी विपक्षीगण की ओर से नियत तिथियों 13.08.2025, 29.08.2025,08.09.2025 व 18.09.2025 को कोई उपस्थित नहीं आया तब न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2025 को आदेश पारित करते हुये प्रस्तुत निगरानी एक पक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया एवं तदोरान्त पूर्व की तिथि पर निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

8. निगरानीकर्तागण/वादीगण की ओर से बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थनापत्र 42 क पर जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है वह विधि संगत नहीं है। न्यायशुल्क अधिनियम की धारा–7(iv क)के प्राविधानों के तहत 1/5 भाग पर न्यायशुल्क लगेगा। अतः आक्षेपित आदेश विधि संगत न होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है।

9. मैंने निगरानीकर्तागण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा निगरानी की पत्रावली के साथ तलविदा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

10. इस निगरानी में न्यायालय को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित 30.10.2024 में यह देखना है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय कोई सारवान अनियमितता तो नहीं की गयी और इस प्रश्नगत आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि तो नहीं है।

J.O.Code UP1546

(**Alok Kumar Srivastava**)
Additional District Judge/
Special Judge (DAA Act)Etawah.

11. मूलवाद संख्या–57/2019 निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। निगरानीकर्तागण/वादीगण ने वादपत्र के पैरा–13 के उपखण्ड अ में उक्त विवादित दानपत्र दिनांकित 11.06.2013 को शून्य घोषित करके इसकी सूचना सब–रजिस्ट्रार इटावा तहसील व जिला इटावा को नियमानुसार भेजे जाने का अभिकथन किया गया है। साथ ही साथ वादपत्र के पैरा–13 के उपखण्ड व में वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि 591 के सापेक्ष स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रचलित किये जाने का कथन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 17.10.2023 को उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर उक्त मूलवाद में वादबिन्दु विरचित किये गये, जिसमें से वादबिन्दु संख्या–3 व 4 जोकि वाद के मूल्यांकन व न्यायशुल्क से सम्बन्धित है,का निस्तारण दिनांक 23.05.2024 को किया गया है,उसके उपरान्त पत्रावली वादी को आदेशित किया गया कि वह सम्पूर्ण कोर्टफीस दाखिल करे इसी बीच दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थनापत्र 42 क प्रस्तुत हुआ और उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण आदेश दिनांकित 30.10.2024 के तहत किया गया। निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा इसी आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी दाखिल की गयी है।

12. संशोधन प्रार्थनापत्र 42 क वादीगण की ओर से वादपत्र में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया प्रश्नगत वाद में मूल्यांकन व न्यायशुल्क के वादबिन्दु संख्या–3 व 4 बनाये गये थे जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को किया गया है,जबकि वादीगण द्वारा उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था जबकि न्यायालय द्वारा वादबिन्दु का निस्तारण करते हुये मंसूखी पर न्यायशुल्क की धारा–7(iv) के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना है,जिसके लिये वादपत्र में आवश्यक कुछ संशोधन होना न्यायहित में अति आवश्यक है।

13. वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र 42 क के विरूद्ध

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 44ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र विधि विधान नियम व तथ्यों के विपरीत है। वादी द्वारा मूल्यांकन 12,26,000/–रूपये के 1/5 भाग पर कोर्टफीस अदा किये जाने के बाबत संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है,जोकि न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध है। आदेश दिनांकित 23.05.2024 के विरूद्ध किसी अपर न्यायालय का कोई आदेश नहीं है तथा कोई अपील/रिवीजन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है,ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण वादी का प्रार्थनापत्र संशोधन निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति में यह भी कथन किया गया है कि वादी के विरूद्ध आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

14. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निगरानीकर्ता/ वादी द्वारा मूलवाद संख्या–57/2019 विवादग्रस्त दानपत्र दिनांकित 11.06.2013 को शून्य घोषित करके इसकी सूचना सब रजिस्ट्रार इटावा को भेजने जाने एवं साथ ही साथ स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मूलवाद में दिनांक 17.10.2023 को वादबिन्दु विरचित किये गये तदोपरान्त वादबिन्दु संख्या–3 व वादबिन्दु संख्या–4 का निस्तारण आदेश दिनांकित 23.05.2024 को किया गया। वादबिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि–''क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?''तथा वादबिन्दु संख्या–4 इस आशय का विरचित किया गया है कि–''क्या अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?''इसके उपरान्त निगरानीकर्ता/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र 42 क मय शपथपत्र 43ग प्रस्तुत किया गया जिस पर यह आक्षेपित आदेश पारित किया गया इसी के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी दाखिल की गयी है।

15. प्रार्थनापत्र 42क में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वादबिन्दु संख्या–3 व 4 का निस्तारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 23.05.2024 को किया गया है और उसके क्रम में वादी को न्यायशुल्क

अधिनियम की धारा–7(iv)के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना है और उसी के आधार पर वादपत्र की धारा–12 में यह संशोधन चाहा गया है कि वादीगण अपने हिस्से के 1/5 भाग यानी 49040/–रूपये(उन्चास हजार चालीस) दर्ज किया जाये अर्थात निगरानीकर्ता/वादी की ओर से संशोधन प्रार्थनापत्र 42क वादग्रस्त दानपत्र दिनांकित 11.06.2013 के कुल मूल्य मुवलिग 12,26,000/–रूपये के पांचवें भाग 49040/–रूपये (उन्चास हजार चालीस) पर न्यायशुल्क अदा करने एवं इससे सम्बन्धित वांछित संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 23.05.2024 के तहत जब वादबिन्दु संख्या–3 का निस्तारण किया गया था तब वाद का मूल्यांकन विवादित दानपत्र में अंकित मालियत मुवलिग 12,26,000/–रूपये माना गया। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादबिन्दु संख्या–3 प्रतिवादी के उत्तरपत्र के आधार पर विरचित किया गया था जबकि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन वादग्रस्त दानपत्र दिनांकित 11.06.2013 की मालियत मुवलिग 12,26,000/–रूपये पर ही किया गया था,परन्तु जो प्रार्थनापत्र 42क प्रस्तुत किया गया है उसके तहत वादी वाद का मूल्यांकन वादग्रस्त दानपत्र की मालियत मुवलिग 12,26,000/–रूपये के 1/5 भाग 49040/–रूपये (उन्चास हजार चालीस)करना चाहता है,जोकि स्पष्ट रूप से आदेश दिनांकित 23.05.2024 के उल्लंघन में है,जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादबिन्दु संख्या–3 का निस्तारण किया गया तो यह स्पष्ट आदेश पारित किया गया है कि वाद का मूल्यांकन वादग्रस्त दानपत्र की मालियत 12,26,000/–रूपये पर है और इसी आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादबिन्दु संख्या–4 का निस्तारण किया गया और यह आदेशित किया गया कि वह उत्तरप्रदेश कोर्टफीस अधिनियम की धारा–7(iv–A)के अन्तर्गत एडवेलोरम कोर्टफीस अदा की जानी चाहिये। यह भी स्पष्ट है कि मूलवाद में याचित अनुतोष दानपत्र निरस्तीकरण या शून्य घोषित कराने का

है,परन्तु दानपत्र निरस्तीकरण के सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया,बल्कि केवल उद्घोषणा के अनुतोष के बाबत न्यायशुल्क अदा किया गया है और इसी आधार पर वादबिन्दु संख्या–4 का निस्तारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 23.05.2024 को किया गया। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तुत निगरानी आदेश दिनांकित 30.10.2024 के विरूद्व है न कि आदेश दिनांकित 23.05.2024 के विरूद्व है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 30.10.2024 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि वाद के मूल्यांकन व न्यायशुल्क के सम्बन्ध में जो आदेश दिनांकित 23.05.2024 पारित किया गया है वह किसी वरिष्ठ न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है। दौरान बहस निगरानीकर्ता द्वारा भी ऐसा कोई तर्क नहीं किया गया न ऐसा कोई साक्ष्य या अभिलेख दाखिल किया गया जिससे यह स्पष्ट हों कि आदेश दिनांकित 23.05.2024 निरस्त किया गया हो जब प्रार्थनापत्र 42 क का निस्तारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया कि चूँकि वाद के मूल्यांकन व न्यायशुल्क के सम्बन्ध में आदेश दिनांकित 23.05.2024 पारित किया गया है और उसका अनुपालन निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा नहीं किया गया है।

16. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–57/2019 संतोष कुमार आदि बनाम शिवशंकर आदि में निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र 42 क पर पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.10.2024 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आदेश पुष्ट होने योग्य है। तद्नुसार प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सिविल निगरानी संख्या–35/2024 निरस्त की जाती है।

J.O.Code UP1546

(**Alok Kumar Srivastava**)
Additional District Judge/
Special Judge (DAA Act)Etawah.

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–57/2019 संतोष कुमार आदि बनाम शिवशंकर आदि में निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र 42 क पर पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.10.2024 पुष्ट किया जाता है।

निगरानीकर्तागण/वादीगण अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को पेश हो। तलबशुदा पत्रावली विद्वान अवर न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक–16.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।
(J.O.Code UP 1546)

निर्णय आज हस्ताक्षरित व दिनांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–16.04.2026 **(आलोक कुमार श्रीवास्तव)**
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।
(J.O.Code UP 1546)

J.O.Code UP1546
(**Alok Kumar Srivastava**)
Additional District Judge/
Special Judge (DAA Act)Etawah.